न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :–सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या:136 / 2024

प्रार्थी::–

दीपाराम पुत्र मगाराम जाति पुरोहित निवासी मूठली तहसील सिवाना जिला बालोतरा

–::बनाम::–

विप्रार्थीगण::–

1. सुरेश कुमार पुत्र ढलाराम
2. उदाराम पुत्र जवाराराम
3. ओम्बाराम पुत्र जवाराराम
4. गणपत पुत्र ढलाराम
5. चतराराम पुत्र कोजाराम
6. जुगताराम पुत्र जवाराराम
7. ताराराम पुत्र पांचाराम
8. दुर्गाराम पुत्र जवाराराम
9. धनीदेवी पत्नी मंगलाराम
10. भटाराम पुत्र ढलाराम
11. भंवराराम पुत्र मोमताराम
12. राजेन्द्र कुमार पुत्र मंगलाराम
13. राणाराम पुत्र मंगलाराम,
14. शान्ति देवी पत्नी ढलाराम
15. सकाराम पुत्र ढलाराम
16. अमराराम पुत्र पांचाराम

    समस्त जातियाभील निवासी मूठली तहसील सिाना जिला बालोतरा
17. राजल बाठिया पत्नी गणपतलाल बाठिया जाति ओसवाल निवासी बालोतरा जिला बालोतरा
18. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित [illegible]

1. श्री नेह[illegible] वकील प्रार्थी
2. श्री [illegible] वकील विप्रार्थी संख्या [illegible]3,5 से 9 ,1[illegible]2,13,16 व 17
3. श्री नेहपालसिंह वकील विप्रार्थी संख्या 1,4,10,14 व 15

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:17:49 IST
Reason: SelfAttested

::आदेश::

दिनांकः– 14.01.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 522 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि ग्राम मूठली तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की माठ से लगती विप्रार्थी सं. 1 से 17 की खातेदारी भूमि ख.स. 1430/517 एवं 966/516 आई हुई है। प्रार्थी को अपने खेत से आवागमन हेतु, आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया विप्रार्थी सं. 1 से 17 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थी संख्या 1 से 17 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 17 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 2,3,5 से 9 ,11,12,13,16 व 17 की ओर से वकील श्री हीराचन्द सुथार व विप्रार्थी संख्या 1,4,10,14 व 15 की ओर से वकील श्री नेहपालसिंह उपस्थित।

विप्रार्थी संख्या 2,3,5 से 9,11,12,13,16 व 17 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माफिक इस्तदुआ प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु रास्ता दिये जाने बाबत सहमति जाहिर की गई व विप्रार्थी संख्या 1,4,10,14 व 15 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब बंद किया गया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 से 17 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:17:49 IST
Reason: Self Attested

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी खेत में आवागमन हेतु प्रार्थी के खातेदारी खेत के माठ से लगती विप्रार्थी संख्या 1 से 17 के खातेदारी भूमि में प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल से दर्शित बिन्दू संख्या ए से बी ही एक मात्र इकलौता, निकटतम एवं

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार आवागमन करता आ रहा है, उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न नक्शे में दर्शित बरंग लाल ए से बी को गै.मु.रास्ता घोषित किया जावे, प्रार्थी उक्त रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 17 को देने हेतु सहमत है।

विप्रार्थी संख्या 2,3,5 से 9 ,11,12,13,16 व 17 के अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थी उसके खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु विप्रार्थी के खातेदारी भूमि में से रास्ता दिये जाने बाबत सहमति जाहिर की गई।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के खेत 302 तक आवगमन तक का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र व निकटतम स्त्रोत बताया है साथ ही प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है एवं रास्ते हेतु जमीन छोडी होना तथा मौके पर रास्ते की जमीन पर ग्रेवल सडक बनी हुई बताया है तहसीलदार सिवाना ने मौका रिपोर्ट मे यह कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा चाहे रास्ते की भूमि मे से खसरा संख्या 307 रकबा 1.6298 की भूमि वर्तमान में संपरिवर्तित है जिसमे से रास्ता नहीं दिया जा सकता है, रा.का.अ. अधिनियम की धारा 251 क के धारा (ख)के बिन्दू (ii) के अनुसार अन्य खातेदार की जोत से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हो तो उक्त धारा के अन्तर्गत प्रार्थी को रास्ता प्रदान किया जा सकता है तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु प्रस्तावित रास्ता ही इकलौता,निकटतम रास्ता है जो मौके पर चालू है, जहां तक प्रश्न सम्परिवर्तित खसरा 307 में रास्ता दिये जाने का है तो उक्त खसरो को छोडते हुए प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा खसरा संख्या 307 के खातेदार द्वारा भी प्रार्थी को रास्ता दिया जाने हेतु सहमति जाहिर की गई है। तहसीलदार सिवाना मौका रिपोर्ट रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 309 मे से प्रस्तावित रास्ता संलग्न नक्शे में दर्शित बरंग लाल से दर्शित की लम्बाई 90 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर अर्थात उक्त रास्ता का क्षेत्रफल 0.0360 होगी तथा उक्त प्रस्तावित भूमि के क्षतिपूर्ति के रूप में प्रार्थी विप्रार्थी संख्या 1 से 16 को डी.एल.सी. की दुगनी राशि देने हेतु सहमत है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:17:49 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित पिोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम मूठली तहसील सिवाना की ख.सं. 302 में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 से 16 के खातेदारी भूमि ख.सं. 309 में से 90 मीटर लम्बाई तथा 4 मीटर चौडाई अर्थात 0.0360 हैक्टेयर भूमि तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में वर्तमान प्रचलित डी. एल.सी. दर की दुगनी राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 16 को दी जावे ,विप्रार्थी संख्या 1 से 16 द्वारा उक्त राशि लेने से इन्कार की स्थिति में उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र क्रमांक– राजस्व/2025/20 दिनांक 05.01.2026 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 14.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:17:49 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शा

मौजा - मूली

तहसील - सिवाना (बालोतरा)

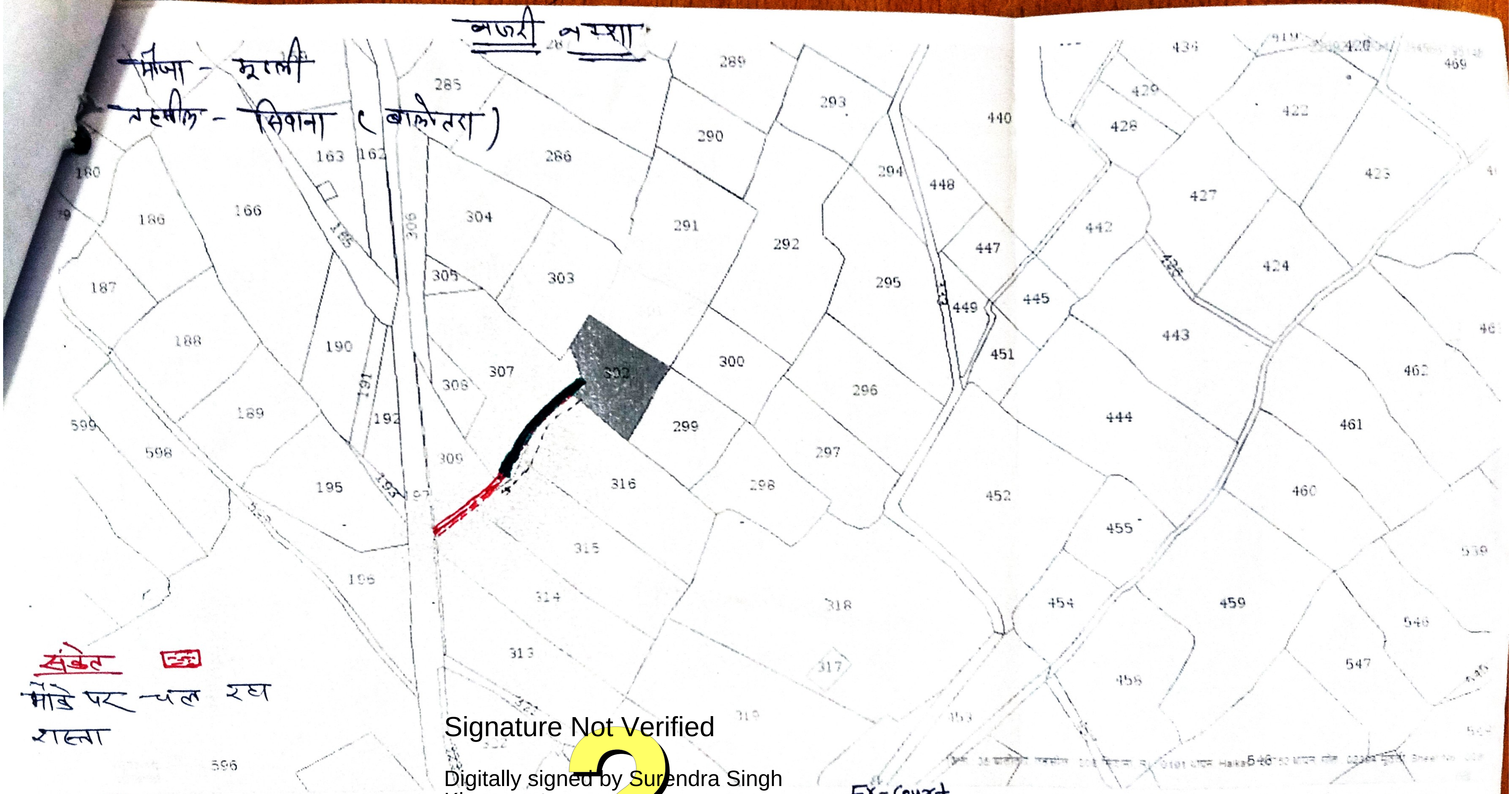

संकेत

मौके पर चल रहा रास्ता

संपरिवर्तित भूमि

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:17:49 IST
Reason: SelfAttested

Ex-Court

पटवारी

ILR शापन

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)